



2026:AHC:126607

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3491/2026

ऋषिपाल सिंह

पुनरीक्षणवादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षीगण

पुनरीक्षणवादीगण के अधिवक्ता : राजेश कुमार पांडे

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

आपराधिक विविध पर आदेश जमानत/सजा निलंबन आवेदन

1. यह पुनरीक्षण याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 18.02.2025 को शिकायत मामला संख्या 903/2000 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ऋषिपाल, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के तहत, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर) में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. जमानत याचिका के माध्यम से पुनरीक्षण याचिकाकर्ता सजा के निलंबन और जमानत की मांग करता है।

4. पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा और दोषसिद्धि अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा है और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जमानत पर था और घटना लगभग 25 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता 13.05.2026 से जेल में बंद है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर था और उसने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। चूंकि निकट भविष्य में पुनरीक्षण की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रस्तुतियों के अलावा, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उन परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है जिनके कारण याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख का अध्ययन किया है, जिसमें आक्षेपित निर्णय शामिल हैं।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को दी गई सजा, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुनरीक्षण के अंतिम निपटारे में कुछ समय लग सकता है, प्रकरण की खूबियों पर और अधिक टिप्पणी किए बिना, मैं अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक हूं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8. उपर्युक्त याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता- **ऋषिपाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता बिना किसी स्थगन की मांग किए पुनरीक्षण के शीघ्र निपटारे में सहयोग करेगा।

(ii) याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(iii) याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने की पूरी राशि, यदि जमा नहीं की गई है, तो इस आदेश के तहत जमानत पर रिहा होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा करेगा।

9. इस पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान आवेदक-अपीलकर्ता को दी गई सजा भी निलंबित रहेगी।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पुनरीक्षण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

12. व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत बंधपत्र की एक प्रति विचारण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को इस पुनरीक्षण के अभिलेख में रखने के लिए भेजी जाए।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को ईमेल/फैक्स के माध्यम से तुरंत अनुपालन के लिए भेजी जाए।

पुनरीक्षण पर आदेश

14. इस पुनरीक्षण को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

10 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।